संख्या– 310 /26–3–2011–4(77)/2002

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 मार्च ,2011

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिता/अभिभावक की आय सीमा एवं छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता) की दरें समूहवार वृद्धि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्रावली संख्या–11017/01/2008–एससीडी–5, दिनांक 31–12–2010 द्वारा अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं द्वारा दशमोत्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत होने की स्थिति में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की दिशा में इस योजना को पुर्नसंशोधित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना को 04 समूहों में विभाजित किया गया है जिसके घटक क्रमशः निम्नवत् हैं :–

(a) Maintenance allowance.
(b) Reimbursement of non-refundable compluls0ry fee charged by Educational Institutions.
(c) Book Bank facllity , and
(d) Certen other allowance.

2– भारत सरकार के उपरिसंदर्भगत शासनादेश दिनांक 31–12–2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा चालू अनुसूचित जाति अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पिता/अभिभावक की वर्तमान आय सीमा रू0 1.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 2.00 लाख तथा छात्रवृत्ति अनुरक्षण भत्ता में समूहवार बढोत्तरी की गयी है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के संलग्न आदेश के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

K.B.K.B. G.o.doc

3— चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 में भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति योजना दिनांक 1—7—2010 से लागू की गयी है। अतएव प्रश्नगत योजना दिनांक 1—7—2010 से लागू किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव ।

संख्या— 310 (1)/26—3—2011 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रावली संख्या—11017/01/ 2008— एस सीडी—5, दिनांक 31— 12—2010 के संदर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उ0प्र0 शासन।(प्रति संलग्न) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समुचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

K.B.K.B. G.o.doc